न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-1, वाराणसी

विजय तिवारी --बनाम--अज्ञात

एफ०आर०नं० 01

15-09-2021

आदेश

पत्रावली पेश। पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन पर वादी को नोटिस प्रेषित की गयी. जो तामील होकर प्राप्त है, परन्तु कोई उपस्थित नहीं है। वादी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं०-2981/एफ०टी०सी०सेल, इलाहाबाद दिनांकित 01-12-2013 एवं सरकुलर नं०-3120/2012 एडमिन जी० 2 दिनांकित 11-12-2012 के अनुसार तीन माह के अन्दर निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

समस्त पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अन्तिम रिपोर्ट के प्रतिकूल कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपल्बध नहीं है और न ही कोई तात्विक साक्ष्य है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के डबल बैंच की अद्यतन विधि व्यवस्था चितरंजन मिर्धा बनाम दुलाल घोष आदि एस०सी०सी० 2001 में विधिक मत प्रकट किया गया है कि जहां पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही अग्रसारित करने का पर्याप्त रिपोर्ट में नहीं है वहाँ अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कार्यवाही को न्यायालय ड्राप कर सकता है एवं अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही अग्रसारित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अन्तिम आख्या स्वीकार की जा सकती है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था वरूण शर्मा आदि प्रति उत्तर प्रदेश राज्य आदि जे०आई०सी० 2011 (1) पेज 160 में यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि केस डायरी में अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त तात्विक साक्ष्य होने पर ही अन्तिम रिपोर्ट को अस्वीकृत किया जा सकता है।

इस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त विधि व्यवस्था में जो विधिक मत प्रकट किये गये हैं उनके परिप्रेक्ष्य में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं०-01 दिनांक 29-01-2019 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०-1, वाराणसी।